

**कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, ग्राम कचान्दुर,
जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़-490024 (ई-मेल : ccmgmchdurg@gmail.com)**

File No.:FINACC/6707/2026-PURCHASE SECTION (GMCH DURG)

दुर्ग, दिनांक : 21/05/2026

II रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) सूचना II

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग.) के अंतर्गत चिकित्सालय में आने वाले मरीजों के उपचार/शल्य क्रिया के लिए कैज्युअल्टी ओ.टी. में स्थापित C-ARM मशीन के मरम्मत एवं वार्षिक रख-रखाव कार्य हेतु “जहाँ है जैसा है” के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	मशीन का नाम	मशीन सरल क्रमांक	वार्षिक रख-रखाव दर प्रति मशीन	कर विवरण	कर सहित कुल राशि
01.	C-ARM IMAGE INTENSIFIER MM5E (Make Siemens Pvt. Ltd.)	Eqp. No.6640000024403, Sr. No. No. 3628			

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्तुत करने नियम एवं शर्तें :-

01. वार्षिक रख-रखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जाएगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रख-रखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने तथा सर्विस रिपोर्ट की प्रति प्रदाय करने के पश्चात् किया जाएगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिति में आदेश निरस्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
02. रूचि की अभिव्यक्ति से प्राप्त दर की वैधता 01 वर्ष तक रहेगी, जिस हेतु राशि रु. 50/- के गैर न्यायिक (Non-Judicial) स्टॉम्प पेपर पर नोटरीकृत शपथ पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (कार्यालयीन प्रारूप अनुसार)।
03. EOI दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
04. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें। “जहाँ है जैसा है” के शर्त पर रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।
05. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी./सी.एम.सी) का दर मशीनों की वर्तमान स्थिति को देखकर ही उल्लेखित करें। साथ ही मरम्मत कार्य में लगने वाले पार्ट्स की दर भी पृथक से उल्लेख करें, जो अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
06. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
07. रखरखाव का कार्य संतोषप्रद होने पर समान शर्तें एवं दरों पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
08. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक, चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
09. उक्त कार्य निर्माता/अधिकृत पंजीकृत अनुभवी फर्म एवं सर्विस प्रोवाइडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते हैं।
10. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोर्ट प्रदाय करनी होगी जो विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित करा कर प्रस्तुत करें।
11. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
12. वार्षिक रखरखाव हेतु वर्णित संख्या के आदेश में कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्तों के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिति में आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती।

क्रमशः.....02.....

--02--

13. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (Black Listed) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता की होना चाहिए।
14. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्तें मान्य है के संबंध में आपको एक Non-Judicial स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार EOI कोटेशन/प्रस्ताव दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 10 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त EOI कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं की जावेगी।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक
चन्द्रूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग.)